

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक:-मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-01 / 2024 - 298 / पटना, दिनांक- 23/01/2024

प्रेषक,

संजय दूबे, भा० प्र० से०
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के दो जिलों में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 03 (तीन) पुलों के निर्माण योजनाओं पर योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के दो जिलों में (परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न सूची के अनुरूप) कुल 03 (तीन) पुलों के निर्माण योजनाओं जिसकी कुल लम्बाई 88.34 मी० के निर्माण की कुल राशि ₹ 993.150 लाख रुपये, (नौ करोड़ तिरानवे लाख पंद्रह हजार रुपया) मात्र है- हेतु योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-1

क्र० सं०	जिला का नाम	कार्य प्रमंडल का नाम	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	पुल की लम्बाई (मी०)	निर्माण की राशि (लाख में)	अनुसंधान की राशि (लाख में)	कटिजेंसी की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Araria	Araria	Kursakanta	Construction of RCC Bridge at L028-T02 to Kolua (VR28) Near Kolua Chowk	19.36	216.950	4.050	1.410	222.410
2	Araria	Araria	Kursakanta	Construction of RCC Bridge at T01- Sundari to Balchanda at CH.-6.600Km near Sundari Village	38.72	366.790	6.010	2.030	374.840
3	Madhubani	Benipatti	Hariakhi	Construction of HL RCC Bridge in Place Damaged RCC Bridge at CH.-0+220km in Ranipatti to Itharwa Main Road	30.26	391.510	02.250	02.140	395.900
				Total	88.34				993.150

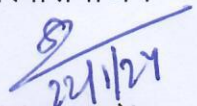
- इन योजनाओं को दो वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
- संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता इन योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
- इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
- इन योजनाओं का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड

Shekhar

- ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. इन योजनाओं के निर्माण की राशि एवं कटिजेंसी की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
 6. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 900.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
 7. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए संबंधित कार्य अंचल के अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता-3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
 8. संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
 9. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०-4(मु०)-03-174/2021 के पृष्ठ संख्या-163/टि० पर प्राप्त है।
 10. विभागीय स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरान्त इन योजनाओं की योजनावार प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय उप मुख्य मंत्री (ग्रामीण कार्य) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या मु०अ०-4(मु०) रा०यो०-07-01/2024 के पृष्ठ संख्या-14/प० पर प्राप्त है।
 11. ब्राड का निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
 12. संबंधित कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
 13. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
 14. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०-4(मु०) रा०यो०-07-01/2024 के पृष्ठ संख्या- 4 /टि० पर दिनांक 22.1.24 को प्राप्त है।
 15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
 16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
 17. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

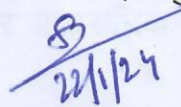
18. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
19. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।
20. इन योजनाओं की निविदा मुख्यालय स्तर से आमंत्रित की जायेगी।

विश्वासभाजन


(संजय दूबे)

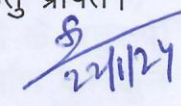
सचिव

ज्ञापांक:-मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-01/2024 - 298 /पटना, दिनांक-23/01/2024
प्रतिलिपि:- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



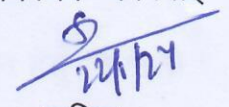
सचिव

ज्ञापांक:-मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-01/2024 - 298 /पटना, दिनांक-23/01/2024
प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सचिव

ज्ञापांक:-मु०अ०-4(मु०)रा०यो०-07-01/2024 - 298 /पटना, दिनांक-23/01/2024
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1/2/3, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-4(मु०), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या लोक कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड पटना/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव